क्रम-संख्या--45

रजि. नं. एल. डब्लू. /एन. पी. 890

[illegible]

[illegible]

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 1999

फाल्गुन 6, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 462/सत्रह-वि--1--1 (क)-24-1998

लखनऊ, 25 फरवरी, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा ारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 24 फरवरी, 1999 को नुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस धिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

त्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने लिये

अधिनियम

ारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 9 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1976 में नई धारा 6-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

अनुरक्षण या सुविधा की व्यवस्था करने और कर या फीस का संग्रह करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने की शक्ति

"6-क—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायं, प्राधिकारी, करार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुरक्षण या सुविधा की व्यवस्था करने या अनुरक्षण करने की व्यवस्था या अनुरक्षण को जारी रखने और उसके लिये उद्ग्रहीत, यथास्थिति कर या फीस का संग्रह करने के लिये, किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 462 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-24-1998

Dated Lucknow, February 25, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Ksettra Vikas (Sansbodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 1999.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. ACT NO. 2 OF 1999)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 14, 1998.

Insertion of new section 6-A in U. P. Act no. 6 of 1976

2. *After* section 6 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Power to authorize a person to provide infrastructure or amenities and collect tax or fee

"6-A. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act and subject to such terms and conditions as may be specified in the regulations, the Authority may, by Agreement, authorize any person to provide or maintain or continue to provide or maintain any infrastructure or amenities under this Act and to collect taxes or fees, as the case may be, levied therefor.

Repeal and savings

U. P. Ordinance No. 13 of 1998

3. (1) the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) (Second) Ordinance, 1998 is here by repealed.

U. P. Ordinance No. 11 of 1998

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), or by the Uttar Pradesh Industrial Development (Amendment) Ordinance, 1998 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 250 सा० विधा०—(2348)—1999—850 (मैक०)।